17/7/19 प्रार्थनी पेश हुयी वकील प्रार्थी
अनु. है। वकील प्रार्थी का वाद
अंश हाजही अंश पेशी में
स्वीकृत किया जा चुका है
इसलिए अब T.I. प्रा.पत्र का
केस औचित्य शेष नहीं रह
गया है इसलिए T.I. प्रा.पत्र
स्वीकृत किया जाता है प्रार्थनी
प्रेषण शुमार होकर इस न्यायालय
से कम हो। आदेश पुरुष न्यायालय
से सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner